उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–28-अ0-19/छः–पु0–9–18–836पीएसटीई/2016
लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल,2018

अधिसूचना
(शक्ति)

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को, जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–17 सन् 1962) की धारा–2 के खण्ड (ढ) में परिभाषित है, दिनांक 22 अप्रैल,2018 एक दिवस के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

ओ0पी0 वर्मा
सचिव।

संख्या–28-अ0-19/छः–पु0–9–2018 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड–''ख'' में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव।

संख्या–5-अ0-19/छः–पु0–9–2018 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0,लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(5) सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 व गोपन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(7) सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक (**द्वारा–** सचिव संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद)।
(8) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव।